कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांकः फा. 1(3)सविरा/नियम/67 पार्ट–2 दिनांकः 17/10/2014

1. अध्यक्ष,
2. प्रबन्ध संचालक,
राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, जयपुर
जयपुर।

आदेश

(राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11(4) के अन्तर्गत)

संविधान के 97वें संशोधन के क्रम में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 मे हुऐ संशोधनो के आलोक में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, जयपुर के उपनियमों में संशोधन हेतु अधिनियम की धारा11(1) के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किये जाकर तीन माह के अन्दर सूचित करने की अपेक्षा की गई थी। अतः उक्त निर्धारित अवधि के समाप्त होने के उपरान्त अभी तक संस्था की ओर से प्रस्तावित उपनियम संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः मैं, अनुराग भारद्वाज रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11(4) के अन्तर्गत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, जयपुर की संलग्न उपविधियों को पंजीकृत करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30.9.2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

—Sd—
(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त रजिस्ट्रार (उपभोक्ता) प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. गार्ड पत्रावली।

उप रजिस्ट्रार (नियम)
रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,
राजस्थान, जयपुर

163

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संशोधित उपनियम

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
24	साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी। इस प्रकार की बैठक की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर होगी और साधारण सभा की ऐसी बैठक वार्षिक साधारण सभा कहलायेगी।	**संचालक मण्डल साधारण सभा की बैठक का आयोजन वर्ष में कम से में एक बार अवश्य करेगा। यह साधारण सभा की बैठक वार्षिक हिसाब बन्द होने पर प्रथम 6मास के भीतर होगी और यह साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन होगा।**
31(4)	रजिस्ट्रार या निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण पत्र व ऑडिट नोट पर व अन्य पत्र व्यवहार पर विचार करना।	**संघ के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों पर विचार करना। एवं संघ के वार्षिक बजट एवं आय–व्यय की स्वीकृति तथा संघ की लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु अधिनियम की धारा 54(4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल मे से लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करना। साथ ही संघ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना एवं सहकारिता विभाग के सेवारत अंकेक्षक से भिन्न अंकेक्षकों हेतु नियमानुसार ऑडिट फीस का निर्धारण करना।**
34	संघ का प्रबन्धन संचालक मण्डल में निहित होगा (क) संचालक मण्डल का निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा संघ की साधारण सभा के सदस्यों में से किया जावेगा। संचालक मण्डल में 15 सदस्य निम्न प्रकार से होंगे :– 1. सदस्य होलसेल भंडार अथवा होलसेल भंडारों के समान मान्यता प्राप्त भंडारों के द्वारा निर्वाचित **7(सात)** प्रतिनिधि, **जिनमें से न्यूनतम एक–एक स्थान क्रमश अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।** 2. प्राथमिक क्रय विक्रय सहकारी समितियों के द्वारा निर्वाचित 3(तीन) प्रतिनिधि, जिनमें से एक **स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा।** 3. शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा निर्वाचित 1(एक) प्रतिनिधि।	संघ का प्रबन्धन संचालक मण्डल में निहित होगा (क) संचालक मण्डल का निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा संघ की साधारण सभा के सदस्यों में से किया जावेगा। संचालक मण्डल में **16** सदस्य निम्न प्रकार से होंगे :– 1. सदस्य होलसेल भंडार अथवा होलसेल भंडारों के समान मान्यता प्राप्त भंडारों के द्वारा निर्वाचित **8(आठ)** प्रतिनिधि। 2. प्राथमिक क्रय विक्रय सहकारी समितियों के द्वारा निर्वाचित 3(तीन) प्रतिनिधि। 3. शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा निर्वाचित 1(एक) प्रतिनिधि। 4. राज्य सरकार के राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 29 के अन्तर्गत मनोनीत 3(तीन) प्रतिनिधि। 5. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, जयपुर पदेन– सदस्य सचिव। (ख) संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

	2001 की धारा 29 के अन्तर्गत मनोनीत 3(तीन) प्रतिनिधि। 5. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, जयपुर पदेन– सदस्य सचिव। (ख) संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।	
38	संचालक मण्डल के कार्यकाल की अवधि में किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जावे, तो शेष समय के लिए उसके स्थान की पूर्ति संचालक मण्डल के अन्य सदस्यों द्वारा सहवरण से की जा सकेगी।	संचालक मण्डल के सदस्य की अन्तरिम रिक्ति अथवा रिक्तियों की पूर्ति राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जावेगी।
48(29)	कोई प्रावधान नहीं।	संघ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विचार करना, पूर्ति रिपोर्ट तैयार करना एवं साधारण सभा के समक्ष अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
52(11)	कोई प्रावधान नहीं।	संघ के संचालक मण्डल के निर्वाचन का संचालन करने के लिए विद्यमान समिति की अवधि समाप्ति के छः माह पूर्व ऐसी रीति से, जो विहित की जावे, लिखित सूचना निर्वाचन प्राधिकारी को भेजना तथा साथ ही किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात भी लिखित सूचना भेजना।
68	कोई प्रावधान नहीं।	**वार्षिक विवरण पत्र** संघ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियाँ फाईल करेगा– 1. अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट, 2. अपने लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण, 3. अधिशेष के व्ययन के लिए योजना जो सोसाइटी के साधारण निकाय के द्वारा अनुमोदित हो, 4. सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो की सूची, 5. साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे में घोषणा और, ऐसी अन्य सूचना जिसकी रजिस्ट्रार समय समय पर अपेक्षा करे।